

राजस्थान सरकार  
गृह(ग्रुप-10)विभाग

क्रमांक: प0 3(1)गृह-10/18

दिनांक 04.10.2018

आदेश

निम्नलिखित सहायक निदेशक अभियोजन के स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक कारण से लोक हित में तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं:-

क्र0सं	नाम अधिकारी	वर्तमान पदस्थापन	नवीन पदस्थापन	विशेष विवरण
1.	श्री राजकिशोर बृजवासी	एसीजेएम, बहरोड जिला अलवर	विशिष्ट लोक अभियोजक, एससी/ एसटी न्यायालय, जयपुर	रिक्त पद
2.	श्री श्रीचन्द्र	सनिय, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर पद के विरुद्ध	सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर	रिक्त पद
3.	श्री श्रवण कुमार	एसीजेएम, कोटपुतली जिला जयपुर	विशिष्ट लोक अभियोजक, एनडीपीएस न्यायालय, जयपुर	श्री सुरेन्द्र मीणा के स्थान पर
4.	श्री पदम सिंह इन्दा	अपर लोक अभियोजक, भीनमाल जिला जालौर पद के विरुद्ध	अपर लोक अभियोजक, भीनमाल जिला जालौर	रिक्त पद
5.	श्री डायमण्ड सिंह	एसीजेएम, भीम जिला राजसमन्द	अपर लोक अभियोजक, ब्यावर जिला अजमेर	रिक्त पद
6.	श्री धर्मेन्द्र सिंह	एसीजेएम, अनुपगढ जिला गंगानगर	सनिय, एसीबी न्यायालय गंगानगर	श्री जोशी के स्थान पर
7.	श्री दिलावर सिंह	एसीजेएम, नोहर जिला हनुमानगढ	अपर लोक अभियोजक, एडीजे न्यायालय सं0 2 सीकर	रिक्त पद
8.	श्री कमल कुमार शुक्ला	एसीजेएम, सागवाडा जिला डूंगरपुर	विशिष्ट लोक अभियोजक, एनडीपीएस न्यायालय, प्रतापगढ	रिक्त पद
9.	श्री ललित शर्मा	एसीजेएम, साम्प्रदायिक न्यायालय पाली	सहायक निदेशक अभियोजन, एसीबी न्यायालय पाली	रिक्त पद
10.	श्री कृष्णकान्त शर्मा	एसीजेएम, शाहपुरा जिला भीलवाडा	सहायक निदेशक अभियोजन, एसीबी न्यायालय, भीलवाडा	रिक्त पद
11.	श्री पृथ्वी सिंह चुडावत	सनिय, एसीबी न्यायालय, अजमेर	अपर लोक अभियोजक, संख्या 1 बूंदी	रिक्त पद
12.	श्री कमल किशोर शर्मा	सनिय, नागौर	अपर लोक अभियोजक, एडीजे न्यायालय, सं0 2 झुन्झुनु	रिक्त पद
13.	श्री पवन कुमार जोशी	सनिय, एसीबी न्यायालय, गंगानगर	सनिय, नागौर	श्री शर्मा के स्थान पर
14.	श्रीमति सुनीता जैन	अपर लोक अभियोजक, ब्यावर जिला अजमेर	सनिय, एसीबी न्यायालय अजमेर	श्री चुडावत के स्थान पर


उपरोक्त अधिकारीगण कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की अविलम्ब पालना सुनिश्चित करें।

(रमेश कुमार शर्मा)  
विशिष्ट शासन सचिव, गृह

4/10/18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय गृहमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह।
3. महानिदेशक, पुलिस/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो।
4. शासन सचिव, विधि, विधि एवं विधिक कार्य विभाग।
5. सम्बन्धित जिला कलक्टर।
6. निदेशक अभियोजन को 5 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
7. सम्बन्धित उप/सहायक निदेशक अभियोजन।
8. सम्बन्धित अधिकारी।
9. निजी पत्रावली।
10. रक्षित पत्रावली।

  
विशिष्ट शासन सचिव, गृह